चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 30.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर ,चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा 02 अन्तर्जनपदीय बाइक चोरों को चोरी की 05 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र चौहान निवासी द्वारिकापुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2. अभिराज सिंह उर्फ गोलू ठाकुर निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

1. मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 70BW 3325 पैशन प्रो रंग लाल काला
2. मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 96L3134 टीवीएस अपाचे रंग नीला
3. मोटरसाइकिल चेचिस नम्बर ME1BG451AJ0062310 यामाहा रंग स्काई ब्लू
4. मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 90M0855 सुपर स्प्लेण्डर रंग नीला
5. मोटरसाइकिल इंजन नम्बर HA10EHEHD72781 पैशन प्रो काला रंग

गिरफ्तारी का स्थान -

लैना बाबा तिराहा

सक्षिप्त विवरणः-

चौकी प्रभारी सीतापुर ,चौकी प्रभारी शिवरामपुर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि 02 व्यक्ति चोरी की बाइक के लिये लइना बाबा तिराहा पर खड़े हैं। इस पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर मौके से मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 70BW 3325 पैशन प्रो रंग लाल,काला पर सवार अभियुक्त 1. अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र चौहान निवासी द्वारिकापुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. अभिराज सिंह उर्फ गोलू ठाकुर निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों भीड़-भाड़ वाले स्थान की रेकी कर अलग-ललग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा बाद में उन्हें बेंच देते हैं तथा हम दोनों ने चोरी की 04 अन्य मोटरसाइकिलें राम सैया मन्दिर के आगे पहाड़ के किनारे में छिपा कर रखा हुई है। अभियुक्तों की निशादेही पर राम सैया मन्दिर के आगे पहाड़ के किनारे जिसमें 04 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी, सभी वाहनों को ई-चालान एप के माध्यम से चेक किया गया तो कई वाहनों के नम्बर प्लेट बदलीं गयी हैं तथा कई वाहनों के चेचिस नम्बर घिसकर मिटाये गये हैं तथा नम्बर प्लेट के आगे का या पीछे का नम्बर तोड़ा गया गया।

मोटरसाइकिलों के बरामदगी एवं उसके नम्बर से छेड़छाड़ करने के आधार पर गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 489/2024 धारा 35(1)(b),317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी
3. आरक्षी अभिषेक प्रताप
4. आरक्षी नरेन्द्र
5. आरक्षी श्यामू

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 128/24 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के वाँछित अभियुक्त अंकित कुमार मिश्रा पुत्र देवदत्त मिश्रा निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना पहाड़ी
2.आरक्षी प्रेम कुमार सिंह
3.आरक्षी आशीष कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह पैरोकार मुख्य आरक्षी आनंद कुमार मॉनिटरिंग सेल प्रभारी तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2014 धारा 147,149,353 भादवि0 व 07 क्रिमिनल लॉ0 के आरोपी अभियुक्त 1. जगदीश उर्फ हनुवा पुत्र बच्चा खटीक 2.कोईहिली देवी पत्नी बच्चा खटीक 3. मुकेश और मुक्की पुत्र इंद्रराज खटीक 4. सुदामा देवी पत्नी जगदीश उर्फ हनुवा 5.विमला देवी पुत्री जगदीश उर्फ हनुवा 6. लक्ष्मीनिया पत्नी इंद्रराज खटीक 7.सविता देवी पुत्री इंद्रराज खटीक निवासीगण वाल्मीकि नगर पूर्वी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष का कारावास व कुल 31500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनाँक 10.07.2014 को तत्कालीन उ0नि0 यूटी श्री आनंद कुमार पाठक ने थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी थी कि वाल्मीकि नगर पूर्वी निवासी कुछ व्यक्तियों(स्त्री,पुरुष) द्वारा एकराय होकर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से लैस होकर गाली गलौज उत्तेजनात्मक शब्दों का प्रयोग कर जान दे दो या जान ले लो कहते हुए सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करना तथा आस पास भय व्याप्त करना कि सूचना पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 74/20214 धारा

147,148,149,308,333,353 भादवि0 व 07 क्रिमिनल लॉ0 बनाम नाम पता अज्ञात(स्त्री,पुरुष) पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनाँक 02.09.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त1. बालचंद्र कौल पुत्र भैयालाल निवासी वाल्मीकि नगर कस्बा मानिकपुर 2. सोनू सोनकर पुत्र सुंदर लाल निवासी सुभाष नगर कस्बा मानिकपुर 3.अजय कुमार पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी सुभाषनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200-200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुनील सोनकर पुत्र राजू सोनकर निवासी इंद्रानगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।